संशोधित डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़ आर0ए0एस0
<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0 अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :– 12 / 2020

वादीया :– बनाम **प्रतिवादीगण :–**

वादीया :–

1. शांतिलाल पुत्र सेसाराम कौम घांची निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कानाराम पुत्र भोलाराम कौम घांची
2. दमाराम पुत्र देवाराम कौम घांची निवासीगण निवासी आदेश्वर मन्दिर के सामने सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
3. तहसीलदार भूमि धारक सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0 अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :–04 / 2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र दवे एवं श्री महेन्द्र चौधरी एवं कैलाश दवे अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3777 / 1, रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 3788,रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नम्बर 3789 रकबा 1.3100 हैक्टर खसरा नम्बर 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर किस्म बंजड, चाही सोयम, हैक्टर भूमि का खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	कानाराम पुत्र भोलाराम कौम घांची सा0देह0 खातेदार	3777 / 1 3788 / 1 3789 3790	0.44 0.16 0.56 0.255	बंजड चा. सोयम	0.20 6.46 2.23 8.43 3.65
2	दमाराम पुत्र देवाराम कौम घांची सा.देह. खातेदार	3788 3789 / 1	0.7500 0.7500	बंजड चा. सोयम	12.00 12.00
3	शान्तीलाल पुत्र शेषाराम कौम घांची सा.. देह खातेदार	3790 / 1	0.0850	बंजड चा. सोयम	1.62

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.11.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–04/2022

वादीया :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. शांतिलाल पुत्र सेसाराम कौम घांची निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. कानाराम पुत्र भोलाराम कौम घांची 2. दमाराम पुत्र देवाराम कौम घांची निवासीगण निवासी आदेश्वर मन्दिर के सामने सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 3. तहसीलदार भूमि धारक सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता वादी
2. श्री कैलाश दवे , श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित ।

–: निर्णय :– दिनांक – 12/10/22

अधिवक्ता मय वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध को राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार मण्डल में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर किस्म चा0सो0 बंजड की आई हुई स्थित है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादस्थ कृषि भूमि खसरा संख्या 3790 में से 1/4 हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान रजिस्ट्री द्वारा खरीद कर बेचान रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी के पक्ष में दिनांक 09.09.2020 को तहरीर व तकमील कर उप – पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करवाई गई, इस प्रकार उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा हक हकुक खातेदारी कब्जा काश्त का आता है। माफिक हक हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है। वादस्थ कृषि भूमि का मौके पर विधिक बंटवाडा किया हुआ नही होने से तथा उपरोक्त कृषि भूमि मौके पर एक ही चक में संयुक्त रूप से आई हुई स्थित होने से वादी को काश्त करने में असुविधा उत्पन्न होती है। मौके पर धोरा पाली माठों को भी लेकर विवाद पैदा होता रहता है, जिससे वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। वादी ने प्रतिवादीगण कोकई बार वादस्थ भूमि का विधिक बंटवाडा बाई मिट्ट एण्ड बाउण्डस करवाने का कहा, लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा टालमटोल करते रहते है तथा कहते कि अभी समय नही है, बाद में बंटवाडा कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नाप चौक करवा कर तथा तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने को कहने पर प्रतिवादीगण ने वादी को बंटवाडा करवाने को कहने

उपखण्ड अधिकारी

पर प्रतिवादीगण ने वादी को बंटवाडा करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा एलानियां कहा कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि का बिना विधिक बंटवाडा कराये अन्यत्र बेचान हस्तान्तरण कर देंगे जिससे बिनाय दावा दिनांक 24.12.2021 को बमुकाम ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में उत्पन्न हुआ। इसलिए वादी उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम खसरा संख्या 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर किस्म चा0सो0 बंजड मे सें अपने 1/4 हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस द्वारा बंटवाडा करवाने हेतु ईशतदुआ की है।

इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबाब दावा मय प्रतिवादा पेश कर निवेदन किया कि पद संख्या 01 का जबाब इस प्रकार है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में वादी एवं प्रतिवादी गण की संयुक्त खातेदारी काब्जाकाश्त सुदा कृषि अवश्य आई हुई स्थित है तथा उक्त भूमि के खसरा संख्या 3790 के साथ ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा संख्या 3777/1 रकबा 0.4400 हैक्टर खसरा नम्बर 3788 रकबा 0.9100 हैक्टर खसरा संख्या 3789 रकबा 1.3100 है0 अर्थात कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.000 हैक्टर की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई स्थित है। वादी द्वारा खसरा संख्या 3790 की भूमि को वादस्थ होना गलत सम्बोधित किया है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से वादस्थ कृषि भूमि के खसरा संख्या 3790 में सें 1/4 हक हिस्सा जरिये रजि0 बेचान खरीद की जानकारी प्रतिवादी संख्या 2 को नही है। तथा खसरा संख्या 3790 में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 व प्रतिवादी संख 2 का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को 1/4 हक हिस्सा बेचान की जानकारी प्रतिवादी संख्या 2 को नही है। वादी अपने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करें। प्रतिवादीसंख्या 02 का सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3777/1, 3788, 3789, 3790 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.000 हेक्टर भूमि में 1/2 हक हिस्सा निहित है। व इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि में 1/2 हक हिस्सा निहित था प्रतिवादी संख्या 01 व 2 उक्त खसरा जात की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग बिना किसी बाधा अडचन के करते आये है। प्रतिवादी द्वारा कभी भी सह खातेदारों के कब्जे काश्त में दखन अन्दाजी नही की है। वादी का यह लिखना गलत है कि मौके पर धोरा – पाली माठो को लेकर विवाद होता रहता है वादी का यह भी कहना गलत है कि वादी ने प्रतिवादी को कई बार वादस्थ भूमि का विधिक बंटवाडा हेतु कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा टालम –टोल किया गया । सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3777/1, 3788, 3789, 3790 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.000 हैक्टर भूमि संयुक्त होने से विधि अनुसार बंटवाडा किया जाना

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

न्यायोचित है। दिनांक 24.12.2021 को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ प्रतिवादी द्वारा कभी काई धमकिया नही दी है।

प्रतिवादीगण 01 व 02 द्वारा काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा आदेश 08 नियम 06 सीपीसी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में वादी एवं प्रतिवादी गण की संयुक्त खातेदारी काब्जाकाश्त सुदा कृषि अवश्य आई हुई स्थित है तथा उक्त भूमि के खसरा संख्या 3790 के साथ ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा संख्या 3777/1 रकबा 0.4400 हैक्टर खसरा नम्बर 3788 रकबा 0.9100 हैक्टर खसरा संख्या 3789 रकबा 1.3100 है0 आई हुई स्थित है। उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खसरा संख्या 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर में से अपने 1/2 हक हिस्से में से 1/4 हक हिस्से का बेचान वादी को किया गया, जो वादी द्वारा वाद में उल्लेखित किये । का0वाद में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी, काब्जा काश्त की व इसी प्रकार खसरा संख्या 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर की भूमि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है, उपरोक्त वर्णित तमाम कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उपरोक्त तमाम कृषि भूमि को मौके पर मौखिक बंटवाडा हो चुका था, जिस मौखिक बंटवाडा अनुसार प्रतिवावादी संख्या 1 व 2 अपने 1/2–1/2 हक हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग बिना किसी बाधा अडचन के शांतिपूर्वक तरीके से करते आये है तथा आज भी प्रतिवादी संख्या 2 मौके पर पूर्व में हुये मौखिक बंटवाडे अनुसार अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है, जिसके अनुसार वादस्थ भूमि मे अपने 1/2 हक हिस्से का वादी व प्रतिवादी 1 के कब्जे व हक हिस्से अनुसार बंटवाडा करवाने का अधिकारी है इसलिए उक्त का0वाद विरूद्ध वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 पेश है। बिनायदावा वादी द्वारा वादस्थ भूमि के खसरा संख्या 3790 में अपने 1/4 हक हिस्से बाबत बंटवाडा का वाद प्रस्तुत करने से व वाद प्रस्तुत के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पूर्ण वादस्थ भूमि का मौके पर कब्जे व हक हिस्से अनुसार बंटवाडा का कहने पर मुकर्रने से बमुकाम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत मे उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 उक्त तमाम कृषि भूमि मे अपने 1/2 हक हिस्से का बंटवाडे का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा काउण्टर वाद पस्तुत किया हैं जिसका निस्तारण भी उक्त वाद मे किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार काउण्टर वाद प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3777/1, 3788, 3789, 3790 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.000 हेक्टर की कृषि भूमि मे प्रतिवादी संख्या 2 के 1/2 हिस्से का मौके पर हक व कब्जे अनुसार बंटवाडा किया

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के 1/2 हक हिस्से की भूमि का अलग से लगान मुकर्र किया जाने व राजस्व रेकर्ड नक्शा में अलग तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पद संख्या 1 का जबाब इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 2 का यह लिखना सही है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार मण्डल सोजत प्रथम तहसील सोजत मे प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3777/1 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 3788, खसरा नम्बर 3789, खसरा नम्बर 3790 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.00 हैक्टर की आई हुई स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की संयुक्त राजस्व रेकर्ड मे दर्ज सुदा है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खसरा संख्या 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर में से अपने 1/2 हक हिस्से मे 1/4 हक हिस्से का बेचान वादी को अवश्य किया गया है। प्रतिदावा का पद संख्या 2 का जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिदावा संख्या 02 का लिखना सही है कि का0वाद के पद संख्या 1 मेंवर्णित वादग्रस्थ कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की व इसी प्रकार खसरा संख्या 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर की भूमि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है। मौखिक बंटवाडा अनुसार वादी एवम प्रतिवादी संख्या 01 व 2 अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है। इस प्रकार जबाब प्रतिदावा पेश कर माफिक प्रतिदावा खसरा संख्या 3777/1, 3788, 3789, 3790 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.000 हेक्टर भूमि का बंटवाडा किये जाने की ईशतदुआ की है।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी अधिक्ता द्वारा प्रतिदावा में अंकित खसरा जात की भूमि को सम्मलित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने की ईशतदुआ की। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण विभाजन का है। उभय पक्ष सहमति से विभाजन हेतु सहमत होने से प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.05.2022 को सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 3777/1, रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 3788,रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नम्बर 3789 रकबा 1.3100 हैक्टर खसरा नम्बर 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर किस्म बंजड, चाही सोयम, हैक्टर भूमि का दर्ज खातेदारान के मध्य मौका, रेकर्ड, तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर पृथक पृथक खसरा नम्बर रकबा एवं लगान का निर्धारण कर प्रस्तावित विभाजन पेश करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया है। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2022/2327 दिनांक 23.09.2022 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत (राज.)

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय

उपखण्ड अधिकारी,

पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 3777/1, रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 3788,रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नम्बर 3789 रकबा 1.3100 हैक्टर खसरा नम्बर 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर किस्म बंजड, चाही सोयम, हैक्टर भूमि का खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
	कानाराम पुत्र भोलाराम कौम घांची सा0देह0 खातेदार	3777/1 3788/1 3789 3790	0.44 0.16 0.56 0.255	बंजड चा. सोयम	0.20 6.46 2.23 8.43 3.65
2	दमाराम पुत्र देवाराम कौम घांची सा.देह. खातेदार	3738 3789/1	0.7500 0.7500	बंजड चा. सोयम	12.00 12.00
3	शान्तीलाल पुत्र शेषाराम कौम घांची सा. देह खातेदार	3790/1	0.0850	बंजड चा. सोयम	1.62

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 12/10/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़ आर0ए0एस0
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 12/2020

वादीया :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. शांतिलाल पुत्र सेसाराम कौम घांची निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. कानाराम पुत्र भोलाराम कौम घांची 2. दमाराम पुत्र देवाराम कौम घांची निवासीगण निवासी आदेश्वर मन्दिर के सामने सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 3. तहसीलदार भूमि धारक सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :–04/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र दवे एवं श्री महेन्द्र चौधरी एवं कैलाश दवे अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के, खसरा संख्या 3777/1, रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 3788,रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नम्बर 3789 रकबा 1.3100 हैक्टर खसरा नम्बर 3790 रकबा 0.3400 हैक्टर किस्म बंजड, चाही सोयम, हैक्टर भूमि का खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	कानाराम पुत्र भोलाराम कौम घांची सा0देह0 खातेदार	3777/1 3788/1 3789 3790	0.44 0.16 0.56 0.255	बंजड चा. सोयम	0.20 6.46 2.23 8.43 3.65
2	दमाराम पुत्र देवाराम कौम घांची सा.देह. खातेदार	3738 3789/1	0.7500 0.7500	बंजड चा. सोयम	12.00 12.00
3	शान्तीलाल पुत्र शेषाराम कौम घांची सा. देह खातेदार	3790/1	0.0850	बंजड चा. सोयम	1.62

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/10/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			